

## व्यापार सूचना

आम सीजन 2023 के लिए दक्षिण कोरिया एवं जापान को आम निर्यात हेतु निरीक्षकों की आवश्यकता

प्रिय निर्यातक,

जैसा कि आम का मौसम 2023 समीप आ रहा है, सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि कोरिया गणराज्य एवं जापान को आमों के निर्यात के लिए केवल पंजीकृत खेतों से ही उत्पाद प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

एपीडा द्वारा हॉर्टीनेट प्रणाली के अंतर्गत मेंगोनेट को पहले ही कार्यान्वयित कर दिया गया है जिसमें किसान राज्य बागवानी/कृषि विभाग के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण उद्देश्य के लिए किसान पंजीकरण पोर्टल खुला हुआ है।

आमों की आपूर्ति करने वाले किसानों की समग्र सूची एपीडा के हॉर्टीनेट प्रणाली (मेंगोनेट) से ली जाएगी और संबंधित देशों को भेजी जाएगी। आवश्यकता के अनुसार, हॉर्टीनेट प्रणाली के अंतर्गत ही पंजीकृत किसानों से संबंधित देशों के लिए आमों के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

यह भी ध्यान दिया जाए कि जापान एवं दक्षिण कोरिया को आम निर्यात के लिए पैक हाउस भी एपीडा और एनपीपीओ की पैक हाउस मान्यता-प्राप्त योजना और आयातक देशों द्वारा सुझाई गई अनुपालन आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत हैं।

इस संबंध में, निर्यातकों को **अनुलग्नक I** के अनुसार **दिनांक 30 जनवरी, 2023 तक** आम निर्यात करने के लिए व्यापार योजना प्रदान करने का सुझाव दिया गया है ताकि हम जापान एवं दक्षिण कोरिया से संगरोध निरीक्षक की तैनाती की आवश्यकता को अंतिम रूप दे सकें। कृपया ध्यान दिया जाए कि निर्यातकों से प्राप्त होने वाली आवश्यकताओं के आधार पर संगरोध निरीक्षक को आमंत्रित किया जाएगा।

कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करें:

1. श्री यू.के. वत्स, महाप्रबंधक - [ukvats@apeda.gov.in](mailto:ukvats@apeda.gov.in)
2. सुश्री विनीत सुधांशु, उप महाप्रबंधक - [vinitas@apeda.gov.in](mailto:vinitas@apeda.gov.in)
3. सुश्री पूनम कपूर, सहायक प्रबंधक - [poonam@apeda.gov.in](mailto:poonam@apeda.gov.in)
4. सुश्री सृष्टि चित्रांशी, व्यवसाय विकास प्रबंधक, [ypffv@apeda.gov.in](mailto:ypffv@apeda.gov.in)
5. सुश्री रितिका भास्कर, व्यवसाय विकास प्रबंधक, [consffv@apeda.gov.in](mailto:consffv@apeda.gov.in)

यू.के. वत्स  
महाप्रबंधक

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	संस्था का नाम	नाम पता: दूरभाष (एसटीडी कोड के साथ): फैक्स (एसटीडी कोड के साथ): मोबाइल नं.: ईमेल आईडी:
2.	निकटतम हवाई अड्डा	
3.	निकटतम हवाई अड्डे से संस्था की दूरी	
4.	हवाई अड्डे से संस्था तक परिवहन प्रणाली	
5.	उस होटल का नाम , पता और संपर्क विवरण जहां निरीक्षक को ठहराया जाना प्रस्तावित है	
6.	परिचालन कार्यक्रम सप्ताह वार	अवधि: बैच/दिन: किस्में: अपेक्षित निर्यात मात्रा:
7.	उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए योजना	सप्ताह वार विवरण
8.	प्रसंस्करण सुविधा का नाम जहां जहां एपीडा मान्य संख्या के साथ निरीक्षक की आवश्यकता है।	
9.	वह अवधि जिसके दौरान निम्नलिखित देशों से संगरोध निरीक्षक की आवश्यकता है: क. जापान ख. दक्षिण कोरिया	
10.	कीट निगरानी रिपोर्ट जो वृद्धि और विकास अवधि के दौरान प्रति आम की खेती परिसर में संचालित की गई थी	
11.	सत्यापित निरीक्षण चेकलिस्ट कि पैकिंग हाउस , वीएचटी और एचडब्ल्यूटी सुविधा और भंडारण की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं। (सुविधा पंजीकरण प्रमाण पत्र , वीएचटी और एचडब्ल्यूटी सुविधा का विनिर्देश , तापमान सेंसर की संख्या , तापमान सेंसर की मासिक परीक्षण रिपोर्ट की प्रति , वीएचटी या एचडब्ल्यूटी के लिए चल रही परीक्षण रिपोर्ट की प्रति जिसमें उपचार तिथि, उपचार तापमान , उपचार अवधि , उपचार मात्रा, निरीक्षक का नाम आदि शामिल हैं)	
12.	निर्यात पैकिंग हाउस , वीएचटी और एचडब्ल्यूटी सुविधा और भंडारण की कीटाणुशोधन और स्वच्छता की स्थिति को सत्यापित करने के लिए चेकलिस्ट।	
13.	एनपीपीओ/एपीडा पैक हाउस मान्यता-प्राप्तप्रमाण-पत्र की प्रति	